



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 मई, 2020

ज्येष्ठ 1, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

संख्या 729/86-2020-183-2011

लखनऊ, 22 मई, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-29

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 23ग के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-4 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

4 अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और खनिजों के भण्डारण की पात्रता

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगा :-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

4 अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और खनिजों के भण्डारण की पात्रता

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगा :-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो;

स्तम्भ-1**विद्यमान उप नियम**

- (ख) ऐसी कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की परिधि में न हो;
- (ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो;
- (घ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति किसी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दी गयी हो;
- (ङ) सम्बन्धित जिला हेतु नदी तल के खनिजों की दशा में, पट्टेदार;

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**

- (ख) ऐसी कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की परिधि में न हो;
- (ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो;
- (घ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति किसी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दी गयी हो;
- (ङ) सम्बन्धित जिला हेतु नदी तल के खनिजों की दशा में, पट्टेदार, **कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि में भण्डारण अनुज्ञप्ति के सिवाय।**

आज्ञा से,
डा० रोशन जैकब,
सचिव।

टिप्पणी :-

- (1) उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2018 अधिसूचना संख्या 3091/LXXXVI-2018-183-2011, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित की गई।
- (2) उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 अधिसूचना संख्या 342/LXXXVI-2019-183-2011, दिनांक 9 मार्च, 2019 में प्रकाशित की गई।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव,
अनु सचिव।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.729/LXXXVI-2020-183-2011, dated May 22, 2020 :

No. 729/LXXXVI-2020-183-2011

Dated Lucknow, May 22, 2020

In exercise of the powers under section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018.

THE UTTAR PRADESH MINERALS (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 for sub-rule (1) of rule 4 set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I (Existing sub-rule)	COLUMN-II (Sub-rule as hereby substituted)
<p>4 Eligibility for grant of licence and storage of minerals – (1) Every Person shall be eligible for grant of license except the following person:- (a) a person who is not an Indian National; (b) a company which is not the ambit of Companies Act, 2013: (c) a person who is convicted by a court: (d) a person whose license has been cancelled for violation of terms and conditions of a previous licence: (e) lessee in case of river bed minerals for the concerned district.</p>	<p>4 Eligibility for grant of licence and storage of minerals – (1) Every Person shall be eligible for grant of license except the following person:- (a) a person who is not an Indian National; (b) a company which is not in the ambit of Companies Act, 2013: (c) a person who is convicted by a court: (d) a person whose license has been cancelled for violation of terms and conditions of a previous licence: (e) lessee in case of river bed minerals for the concerned district except in the storage license period ending on December 31, 2020, owing to conditions arising from Covid-19 pandemic :</p>

By order,
Dr. ROSHAN JACOB,
Sachiv.

N.B. :-

- (1) The Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2018, issued *vide* notification no. 3091/LXXXVI-2018-183-2011, dated December 20, 2018 were published in the Uttar Pradesh *Gazette* dated December 20, 2018.
- (2) The Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2018, (First Amendment) was issued *vide* notification no. 342/LXXXVI-2019-183-2011, dated March 9, 2019.

By order,
HRIDAY NARAYAN SINGH YADAV,
Anu Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 39 राजपत्र-2020-(69)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
 पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० भूतत्व एवं खनिकर्म-2020-(70)-1,500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।